बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 96 दिनांक 21/7/2008

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

सेवा में

प्रधान सचिव,
गृह विभाग ।

विषयः–**सरकार के निदेश के विपरीत प्राथमिकी पर अग्रतर कार्रवाई रोकने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहनाहै कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो,पटना प्रक्षेत्र के द्वारा निगरानी थाना में प्राथमिकी संख्या –036/2008 दिनांक 17–6–08 दर्ज की गयी है (प्राथमिकी की प्रति संलग्न) जिसमें श्री अमिताभ सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वैशाली प्रखंड, वैशाली को भी नामजद अभियुक्त संख्या–4 गृह विभाग के परिपत्र संख्या –ई,–बी0–01–425/07–6211 दिनांक 9–6–2008 (प्रतिलिपि संलग्न) को नजर अंदाज कर बनाया गया है।

संक्षेप में मामला यह है कि माननीय मुख्य मंत्री के जनता दरबार में प्राप्त आवेदन में अमृतपुर पंचायत के मुखिया के विरूद्ध सोलर लाईट लगाने की योजना के कार्यान्वयन में पक्षपात करने का आरोप था । जिसपर मुख्य मंत्री द्वारा निगरानी विभाग को जांच करने का आदेश दिया गया ।

उल्लेखनीय है कि वैशाली जिलान्तर्गत अमृतपुर पंचायत में 12वीं योजना के मद में सोलर लाईट लगाना था । स्थल का चयन ग्राम सभा को करनी थी और पंचायत कार्यकारिणी से अनुमोदन होने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मात्र प्रशासनिक स्वीकृति दी है । जिले से पंचायत को सीधे राशि उपलब्ध करायी गयी तथा योजना का कार्यान्वयन कराकर पंचायत के द्वारा ही भुगतान किया गया । ऐसी परिस्थिति में निगरानी विभाग के जांचदल ने जांच में इन बातों को पाने के बाद भी अति उत्साहित होकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी नामजद करने का प्रतिवेदन समर्पित किया । जिसके आधर पर पुलिस अधीक्षक–सह–थाना अध्यक्ष, निगरानी थाना ने काण्ड दर्ज करने के साथ ही मामले का

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :.................................. दिनांक ....

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र

(M) 9835281295

(M) 9939469410

(R) 0612-2526123

+++

उपाध्यक्ष

* शम्भु नाथ मिश्र

(M) 9431619672

(O) 9334387630

(F) 0612-2504498

(R) 0612-2288139

(M) 9934280177

(O) 0612-2219693

+++

महासचिव

सुशील कुमार

(M) 9431091417

(O) 9431818484

+++

संयुक्त सचिव

* राजयनन्द बडियार

(M) 9431093157

(O) 9431818010

* अनिल कुमार

(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह

(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर

(M) 9431407901

(O) 9334387555

अनुसंधान श्री आर0 के0 पोद्दार पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सौपा है ।

दिनांक 28–6–08 को माननीय मुख्य मंत्री से वार्ता के समय 'बासा' के द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था कि प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिमंडल से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दी जाती है। योजना के कार्यान्वयन में गड़बड़ी करने वाले तथा भुंगतान करने वाले के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए ।

गृह विभाग के परिपत्र संख्या–6211 दिनांक 9–6–2008 के द्वारा यह स्पष्ट निदेश अंकित है कि ऐसे मामले में जब किसी विभाग अथवा संगठन द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जिसमें सरकार को हानि हुई हो तब संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान के परामर्श से ही आपराधिक मामला दर्ज हो ।

भूलवश गृह विभाग के द्वारा उक्त पत्र की प्रति अपर महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं प्रधान सचिव,निगरानी विभाग को नहीं दी गयी जिसका खमियाजा 'बासा' के पदाधिकारी को भुगतना पड़ रहा है।

आप संघ के इस भावना से सहमत होगें कि 'बासा' की यह कभी मंशा नहीं रही है कि अपने सदस्यों के गलत कार्यो को सरकार के समक्ष सही ठहराये। परन्तु सरकार से यह अपेक्षा भी रखती है कि हमारे पदाधिकारी को मनोबल तोड़ने के लिए अति उत्साहित कार्य के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हो, जैसा कि इस मामले में हुआ है।

जहाँ तक प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा पर्यवेक्षण करने का प्रश्न है, आप अवगत हैं कि वर्तमान में पदाधिकारियों की कमी के चलते प्रत्येक प्रखंड के एक ही पदाधिकारी को सारा दायित्व दे दिया गया है। श्री अमिताभ सिंह को प्रखंड विकास पदाधिकारी, वैशाली प्रखंड के अपने कार्यो के अतिरिक्त अंचल कार्यालय, चकबंदी कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना का कार्य भी सौपा गया है। इसके अतिरिक्त भुगतान की कुदृष्टि भी उन पर है। इनकी पत्नी कैंसर रोग से ग्रसित हैं।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :................................ दिनांक ....

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123
+++
उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

(M) 9934280177
(O) 0612-2219693
+++
महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484
+++
संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463
+++
कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351
+++
संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

आपसे अनुरोध है कि गृह विभाग के उक्त परिपत्र को निगरानी विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराते हुए उपर महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को यह निदेश दिया जाय कि इस मामल में उनके द्वारा मात्र प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है तथा प्राथमिकी संबंधित विभाग के प्रधान सचिव के सहमति प्राप्त किये बिना दर्ज की गयी है। अतएव इस मामले में अनुसंधान के क्रम में संबंधित पदाधिकारी का मनोबल नहीं तोड़ा जाय ताकि राज्य के सर्वागीण विकास की गति तेजी से चले। पदाधिकारी के विरूद्ध अग्रतर कार्रवाई नहीं की जाय तथा वरीय पदाधिकारियों के द्वारा इस मामले में पर्यवेक्षण कराकर गृह विभाग के परिपत्र के आलोक में इनका नाम प्राथमिकी से हटाने की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन
21/7
(ए० सी० मिश्र)
अध्यक्ष

ज्ञापांक 96 पटना, दिनांक 21 जुलाई, 2008।

प्रतिलिपिः–श्री अमिताभ सिंह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/08
अध्यक्ष